"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 मार्च 2013—फाल्गुन 23, शक 1934

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा./04/73/पंग्राविवि/2013/1399.—विभाग के आदेश क्रमांक/पंचा/04/73/2012/54, दिनांक 07-09-2012 द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण" का गठन किया गया है. उक्त आदेश की कंडिका 2 में प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र उल्लेखित है. राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन संबंधी आदेश में उल्लेखित प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती है :—

"2. **प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र**— छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों सहित प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्र व नगर पंचायतों के क्षेत्र शामिल होंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.